

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ३/४५०। /

जबलपुर, दिनांक ३।/०८/२०१८

कु. देववती सोनी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(कुक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की सेवाएँ आवश्यकता न होने के कारण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम १९७६ के नियम ८-क मे निहित निर्देशों के अंतर्गत एक माह के नोटिस के एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार



(प्रकाश चंद्र गुप्ता)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)
Par

पृष्ठाकंत क्र ३/४५०२ /

जबलपुर, दिनांक ३।/०८/२०१८

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / -कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेख), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
3. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ज्वाईट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना / लेखा / बजट / पेंशन / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. सहायक, स्थापना / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / डी.पी.एफ. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक प्रोटोकॉल ऑफीसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर संबंधित को तत्काल एक माह के वेतन का भुगतान करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु,
10. कु. देववती सोनी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(कुक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
Par

